योजना का स्वरूप

प्रस्तावना

आवास मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता है । ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे आवासहीन परिवारों को आवास निर्माण हेतु शत–प्रतिशत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 1985–86 से इंदिरा आवास योजना प्रारंभ की गयी है । वित्तीय वर्ष 1985–86 से वित्तीय वर्ष 1988–89 तक यह योजना ग्रामीण भूमिहीन रोजगार आश्वासन योजना की एक उपयोजना तथा वित्तीय वर्ष 1989–90 से 1995–96 तक जवाहर रोजगार योजना की उपयोजना थी । वित्तीय वर्ष 1996–97 से यह स्वतंत्र योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही है । दिनाकं 1–4–99 से पूर्व योजनान्तर्गत केन्द्र और राज्य शासन द्वारा 80:20 के अनुपात में लागत वहन की जाती थी । दिनाकं 1–4–99 से केन्द्रांश और राज्यांश का अनुपात 75:25 है ।

उद्देश्य

इन्दिरा आवास का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराना है ।